आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–05 / 2023	
16.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। इस वाद की ऑडियो कॉल से हुई सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम ने आयोग को भेजे अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ताओं को सवा गुणा मुआवजा सहित अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें माह अक्टूबर, 2022 में चावल नहीं मिला है, माह नवंबर, 2022 में कुछ ही लाभुकों को अनाज मिला है। माह दिसम्बर, 2022 में चावल नहीं दिया गया, सिर्फ गेहूँ दिया गया। सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम का कहना है कि माह अक्टूबर में चावल आया ही नहीं एवं माह दिसम्बर, 2022 में भी चावल नहीं आया। आयोग ऐसे तर्कों को स्वीकार नहीं कर सकता है एवं प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा शिकायतकर्ताओं को भुगतने नहीं दे सकता है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश देता है कि वे माह जनवरी, 2022 से लेकर अब तक किस–किस माह आवश्यक अनाज की मात्रा के विरूद्ध कितना अनाज उनके जिला को मिला, कब मिला और यदि किसी माह में अनाज नहीं मिला या आवश्यक मात्रा से कम मिला, तो उनके द्वारा राज्य सरकार से किये गये पत्राचार की प्रति आयोग को भेजें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम 07 दिनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन आयोग को भेजें, ताकि आयोग अग्रेत्तर कार्रवाई कर सके। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.05.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx64	